

रा.आ.बै.(नदि)/आरओडी/ पुनर्वित्त परिपत्र संख्या 2/ 2023-24

अक्टूबर 10, 2023

सभी पात्र आवास वित्त कंपनियां

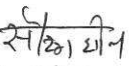
महोदय/ महोदया

पुनर्वित्त परिपत्र- राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सुविधाओं की बाहरी रेटिंग।

कृपया दिनांक 25 मार्च, 2022 और 29 मार्च, 2023 का "पुनर्वित्त परिपत्र - राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सुविधाओं की बाहरी रेटिंग" का संदर्भ ले, जिसमें आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त सभी सुविधाओं के लिए आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक से बाहरी रेटिंग प्राप्त करने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी।

2. उपरोक्त के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पिछले वित्तीय विवरणों के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त सभी सुविधाओं के लिए आरबीआई से मान्यता प्राप्त किसी भी रेटिंग एजेंसी से बाहरी रेटिंग प्राप्त करने का कष्ट करें। और रेटिंग को यथाशीघ्र जमा करने का कष्ट करें।

भवदीय


(सौरव सील)

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन विभाग